न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 119/2016

1. सरजीत सिंह पुत्र हरीसिंह जाति रामगढ़िया आयु करीब 45 साल निवासी 12 एफ. बड़ा मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.–राजस्व अधिनियम, बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — वादीगण
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.09.2016

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.– राजस्व अधिनियम, बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

वादी का सही नाम सरजीतसिंह पुत्र हरीसिंह है, तथा इसी नाम से वोटर पहचान पत्र संख्या आर.जे./01/007/339120 तथा आधार कार्ड संख्या 8286 8832 6570 जारी किया हुआ है। वादी का खातेदारी रकबा चक 9 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/104 मुरब्बा नम्बर 3 के खाता संख्या 56/104 मुरब्बा नम्बर 26 एवम् खाता संख्या 115/104 मुरब्बा नम्बर 2, 3, 26 तथा चक 10 एफ बड़ा के खाता संख्या 45/39 मुरब्बा नम्बर 3, 36, 53, 54 में मुश्तरका में खातेदारी दर्ज है इन खातों के रकबा में वादी का नाम सेकलीसिंह दर्ज है जबकि वादी का नाम सरजीतसिंह है। उसको घर पर सेकलीसिंह पुकारा जाता था जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में रकबा दर्ज करते समय ही सेकलीसिंह उर्फ सरजीतसिंह दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम सरजीतसिंह ही है, वादी द्वारा समाचार–पत्र के माध्यम से भी सेकली सिंह के स्थान पर सरजीतसिंह पुकारा जानें के लिये समाचार भी प्रकाशित करवाया गया जिसकी नकल शामिल है, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि में नाम की भिन्नता दर्ज होनें के कारण वादी को ना केवल भूमि सुधार करनें में भारी परेशानी हो रही है, बल्कि कई बार मामला आदि जमा करवानें में भी कठिनाई पैदा होती है। अतः उपरोक्त समस्त भूमि को अपनी खातेदारी भूमि यानि वादी सरजीतसिंह पुत्र हरीसिंह के नाम से खातेदारी भूमि घोषित करवाना राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरूस्ती करवाना आवश्यक हो गया है। जिससे कि भूमि सही नाम से दर्ज होनें पर वादी अपनी भूमि में पूरी तरह सुधार कार्य करवा से तथा सही लाभ प्राप्त कर सके।

वादी के पिता हरीसिंह के सेकलीसिंह नाम का वास्तव में अन्य कोई पुत्र नहीं है बल्कि वादी सरजीतसिंह ही लड़का है जिसको घर पर प्यार से सेकलीसिंह पुकारनें के कारण राजस्व रिकार्ड में नाम की गलती दर्ज हो गई है जिसको दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

अतः वादी स्वीकार किया जाकर वाद में अंकित आराजी को खातेदार घोषित करते हुए वादी के नाम की दुरूस्ती में सेकलीसिंह हटाकर केवलमात्र सरजीतसिंह पुत्र हरीसिंह दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 19.07.2016 को जबाब दावा प्रस्तुत हुआ, जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादी नें अपना नाम सही मानकर ही बैक से ऋण लिया है बैक को पक्षकार नही बनाया गया है।

दिनांक 06.09.2016 को वादी द्वारा शपथ पत्र तथा गवाहान के रूप में गुलाम रसूल पुत्र गफूरखां साकिन मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर तथा साधुसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिह साकिन मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रस्तुत किये गये। वादीगण का व्यक्तिगत पहचान प्रमाणपत्र, के साक्ष्य का मूल के साथ में मिलान किया गया।

वाद में किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई दिनांक 20.09.2016 को वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में प्रस्तुत वादपत्र को दोहराते हुऐ तर्क दिया वादी के पिता हरीसिंह के सेकलीसिंह नाम का वास्तव में अन्य कोई पुत्र नहीं है बल्कि वादी सरजीतसिंह ही लड़का है जिसको घर पर प्यार से सेकलीसिंह पुकारनें के कारण राजस्व रिकार्ड में नाम की गलती दर्ज हो गई है जिसको दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर वादी के नाम की दुरूस्ती में सेकलीसिंह हटाकर केवल मात्र सरजीतसिंह पुत्र हरीसिंह को खातेदार घोषित किया जावे।

हमने विद्धान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.–राजस्व अधिनियम, स्वीकार किया जाकर चक 9 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/104 मुरब्बा नम्बर 3 के खाता संख्या 56/104 मुरब्बा नम्बर 26 एवम् खाता संख्या 115/104 मुरब्बा नम्बर 2, 3, 26 तथा चक 10 एफ बड़ा के खाता संख्या 45/39 मुरब्बा नम्बर 3, 36, 53, 54 में मुश्तरका में खातेदारी दर्ज है, में सेकलीसिंह उर्फ सरजीतसिंह पुत्र हरीसिंह कौम रामगढिया सिख साकिन मिरजेवाला को कमलजन किया जाकर सरजीतसिंह पुत्र हरीसिंह जाति रामगढिया सिख साकिन मिर्जेवाला को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किये जानें हेतु लिखा जावे।

उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। यदि वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर किसी बैक आदि से ऋण ले रखा हो तो समस्त भार मुक्त होनें पर राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर